संख्या-5/2016/1481/12-4-16-413/2016

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 30 दिसम्बर, 2016

विषय :- श्री योगेन्द्र कुमार, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, उप कृषि निदेशक, अमरोहा की पत्नी श्रीमती दुर्गेश की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ए0सी0 (4)/179/चि0प्र0पू0, दिनॉक 20-12-2016 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र कुमार, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, उप कृषि निदेशक, अमरोहा की पत्नी श्रीमती दुर्गेश का प्रदेश के बाहर महाराजा अग्रसेन अस्पताल, नई दिल्ली में दिनॉक 20-05-2016 से दिनॉक 25-05-2016 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 7,37,150/- (रूपये सात लाख सैतीस हजार एक सौ पचास मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- भुगतान के पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक से लेना उचित होगा कि श्रीमती दुर्गेश किसी राजकीय सेवा में नही है।

5- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानो का प्रशिक्षण-03-कृषि प्रसार परियोजना तथा प्रदर्शनियॉ-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

संलग्नक-यथोपरि।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-5/2016/1481(1)/12-4-2016, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा।
(3) कोषाधिकारी, अमरोहा/ उप कृषि निदेशक, अमरोहा ।
(4) श्री योगेन्द्र कुमार, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, कार्यालय उप कृषि निदेशक, अमरोहा ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in